उत्तराखण्ड शासन

# सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

## मैनुअल – 7

## नीति निर्धारण एवं उसका क्रियान्वयन किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड

देहरादून

# मैनुअल – 7

## नीति निर्धारण एवं उसका क्रियान्वयन

5.1 क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण/कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि की परामर्श/भागीदारी का कोई प्राविधान है? यदि है तो बताये।

5.2 उपरोक्त के पालन में प्रदेश सरकार द्वारा निम्न समितियां गठित की गई हैं।

(अ) जनपद सिंचाई बंधु–

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसके आदेश सं. 408/93–27–एस0आई0–4 दिनांक 11.21993 द्वारा निम्न प्रकार गठित की गई थी, जिसे समय–समय पर संशोधित किया जाता रहा है।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | जनपद के सांसद/विधानसभा सदस्य – | अध्यक्ष |
| 2. | जनपद के सभी ब्लाक प्रमुख – | सदस्य |
| 3. | जनपद के नहर/नलकूप/लिफ्ट नहरों के समस्त अधिशासी अभियंता– | सदस्य |
| 4. | खंडीय राजस्व अधिकारी– | सदस्य |
| 5. | जनपद के राज्य विद्युत परिषद के समस्त अधिशासी अभियंता– | सदस्य |
| 6. | जनपद के मुख्य विकास अधिकारी– | सदस्य |
| 7. | शासन द्वारा नामित सदस्य– | सदस्य |

प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग द्वारा नामित नोडल अधिशासी अभियंता सचिव–सदस्य होंगें।

सिंचाई बन्धु की बैठक में, सिंचाई से संबंधित निम्न समस्याओं पर चर्चा होगी तथा उनका समाधान किया जायेगा–

1. सिंचाई नहरों की उचित सिल्ट सफाई।
2. सिंचाई नहरों की अंतिम छोर पर पानी पहुंचाने तथा नहरों के काटने से संबंधित समस्यायें
3. चक्र (रोस्टर) के अनुसार नहरों को चलाना।
4. नहरों के कुलाबों की व्यवस्था से संबंधित समस्यायें
5. नलकूपों के चलन से संबंधित समस्यायें।
6. नलकूपों की बंदी की समीक्षा।
7. सिंचाई दरों को तय करने संबंधी समस्या।
8. किसानों से प्राप्त अन्य शिकायतें।
9. सिंचाई मंत्री द्वारा निर्देशित अन्य कार्य।

सिंचाई बंधु की बैठक प्रत्येक माह होगी तथा इसके कार्यवृत्त नियमित रूप से अभिलिखित किये जायेंगे। (सिंचाई बंधु के गठन के शासनादेश संलग्न हैं।)

(ब) प्रदेशीय सिंचाई सलाहकार समिति

प्रदेश स्तर की सिंचाई सलाहकार समिति का गठन उत्तरांचल सिंचाई विभाग, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप सं0 100/नौ–1–सिं(270–स्थापना)/04 दिनांक 27.2.2004 द्वारा सिंचाई एवं

लघु सिंचाई कार्यों की समीक्षा, विभागीय कार्यों की गुणवत्ता सुधारने तथा सिंचाई व लघु सिंचाई के संसाधन बढ़ाने हेतु सुझाव देने के लिये किया गया है।

समिति में निम्न सदस्य होंगे (संबंधित शासनादेश संलग्न है)–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | माननीय मंत्री, सिंचाई, लघु सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | – | अध्यक्ष |
| 2. | श्री वीरेन्द्र सिंह बिष्ट<br>(जनपद रूद्रप्रयाग का प्रतिनिधित्व) | – | उपाध्यक्ष |
| 3. | श्री लच्छी लाल शाह, जोशीमठ<br>(जनपद चमोली का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |
| 4. | श्री महेश ढौंडियाल<br>(जनपद पौड़ी का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |
| 5. | श्री राव शाहिद अहमद, रोशनाबाद, पो0 रोशनाबाद,हरिद्वार<br>(जनपद हरिद्वार का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |
| 6. | सरदार कुलदीप सिंह, ऋषिकेश<br>(ऋषिकेश का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |
| 7. | श्री मूर्ति सिंह नेगी, चम्बा, टिहरी<br>(जनपद टिहरी का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |
| 8. | श्री जयभगवान सिंह पंवार, ग्राम धराली, पो0 धराली, पटटी टकनौर, उत्तरकाशी<br>(जनपद उत्तरकाशी का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |
| 9. | श्री खुशहाल चन्द्र गोवर, ग्राम बलरामपुर, पो0 झगडपुरी, उधमसिंहनगर<br>(जनपद उधमसिंहनगर का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |
| 10. | श्री हरेन्द्र सिंह बोरा, गोलापार, हल्द्वानी(नैनीताल)<br>(जनपद नैनीताल का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |
| 11. | श्री मोहन चन्द भट्ट, बागेश्वर<br>(जनपद बागेश्वर का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |
| 12. | श्री गोपाल सिंह जीना, अल्मोड़ा शहर, अल्मोड़ा<br>(जनपद अल्मोड़ा का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |
| 13. | श्रीमती अनीता गोरखा, लोहाघाट<br>(जनपद चम्पावत का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |
| 14. | श्री दीपक कमल, डीडीहाट<br>(जनपद पिथौरागढ़ का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |

समिति की बैठक सामान्यतः त्रैमासिक रूप से होगी।

कार्यालय
मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
(नियोजन अनुभाग)
सिंचाई विभाग, देहरादून

पत्रांक : /मु०अ०वि०/नियो०अनु०/आई–18 दिनांक 12 सितम्बर, 06

## कार्यालय ज्ञाप

शासन के पत्रांकः 35/II–2006–01(270)/2003, दिनांक 18.08.06 के अनुपालन में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–5 के तहत इस कार्यालय के पूर्व कार्यालय ज्ञाप संख्याः 2332/मु०अ०वि०/नियो०अनु०/आई–18, दिनांकः 28.07.06 को संशोधित करते हुए सिंचाई विभाग में पूर्व में नामित सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी के क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य स्तरीय सिंचाई सलाहकार समिति को सिंचाई विभाग के मैनुअल –7 में सम्मिलित करते हुए समिति के सम्बन्ध में मांगे जाने वाली सूचना विभाग के माध्यम से निम्नानुसार सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

| क्रम सं० | विभाग | लोक सूचना अधिकारी | | | सहायक लोक सूचना अधिकारी | | | विभागीय अपीलीय अधिकारी | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सिंचाई | अधिशासी अभियन्ता | यांत्रिक उपकरण एवं भण्डार खण्ड–1, यमुना कालोनी देहरादून | 0135–2530812(O) | सहायक अभियन्ता | यांत्रिक उपकरण एवं भण्डार खण्ड–1, यमुना कालोनी, देहरादून | 0135–2530812(O) | अधीक्षण अभियन्ता | लखवाड़ व्यासी निर्माण मण्डल–1, यमुना कालोनी, देहरादून | 0135–2530069(O) |

सागर चन्द्र
मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

पत्रांक : 3597/मु०अ०वि०/नियो०अनु०/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, उत्तरांचल राज्य, सूचना आयोग, सेक्टर–1, सी–10, डिफेन्स कालोनी, देहरादून।
2. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
3. अपर सचिव, (सिं०), उत्तरांचल शासन, देहरादून को शासन के पत्रांकः 35/II–2006–01(270)/2003, दिनांक 18.8.06 के क्रम में।
4. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, सिंचाई एवं ऊर्जा, अध्यक्ष राज्य स्तरीय सिंचाई सलाहकार समिति, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।

5. श्री वीरेन्द्र सिंह बिष्ट, मा० उपाध्यक्ष (गढ़वाल मण्डल), राज्य स्तरीय सिंचाई सलाहकार समिति, यमुना भवन, देहरादून।

6. श्री केदार पलड़िया, मा० उपाध्यक्ष, (कुमांऊ मण्डल), राज्य स्तरीय सिंचाई सलाहकार समिति, सिंचाई निरीक्षण भवन, कक्ष नं०–3, खाम बंगला परिसर, हल्द्वानी।

7. समस्त मुख्य अभियन्ता, स्तर– II को इस आशय से प्रेषित है कि अपने संगठन के अन्तर्गत समस्त लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी को तदानुसार सूचित करने का कष्ट करें।

8. समस्त सहायक लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, देहरादून।

9. अधिशासी अभियन्ता, यांत्रिक उपकरण एवं भण्डार खण्ड– 1, देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि राज्य स्तरीय सिंचाई सलाहकार समिति के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नः यथोक्त।

(डी० के० पचौरी)
अधिशासी अभियन्ता (नियोजन)
कृते मुख्य अभियन्ता एवं विभागध्यक्ष

**उत्तरांचल शासन**
**सिंचाई विभाग**
**संख्या : 223–VIP/II-2005-01(270)/2003**
**देहरादून : दिनांक, 03–06–2006**

**कार्यालय ज्ञाप**

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–05 के तहत सिंचाई विभाग, उत्तरांचल में नामित सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य स्तरीय सिंचाई सलाहकार समिति को भी सम्मिलित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

एन० रवि शंकर
प्रमुख सचिव।

संख्या : 223––VIP/II-2005-01(270)/2003, तदिनांक।

1. प्रतिलिपि सचिव, सूचना, उत्तरांचल शासन।
2. प्रतिलिपि राज्य समन्वयक, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तरांचल शासन को उनके पत्र संख्या–05/XXXI(13) जी/सू०/2006, दिनांक 25.02.2006 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रतिलिपि श्री वीरेन्द्र सिंह बिष्ट, मा० उपाध्यक्ष, सिंचाई सलाहकार समिति, उत्तरांचल, कक्ष संख्या–19, यमुना कालोनी, देहरादून को उनके पत्र संख्या–1498/रा०सिं०स० स०उ०/दिनांक 01.03.2006 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रतिलिपि मुख्य अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिं० वि० देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत तैयार किये गये मैनुअल्स में राज्य स्तरीय सिंचाई सलाहकार समिति को सम्मिलित करते हुए तदनुसार मैनुल्स में संशोधन करते हुए राज्य सूचना आयोग एवं एन० आई० सी० को अवगत कराने का कष्ट करें।
5. निदेशक, एन० आई० सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(टीकम सिंह पंवार)।
संयुक्त सचिव।

**उत्तरांचल शासन**
**सिंचाई विभाग**
**संख्या : 4199/05–01(270)/03**
**देहरादूनः दिनांक 5 फरवरी, 2006**
**कार्यालय ज्ञाप**

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत सिंचाई विभाग के कार्यो की समीक्षा करने तथा विभागीय कार्यो की गुणवत्ता में सुधार लाने के निमित्त राज्य स्तरीय सिंचाई सलाहकार समिति के गठन सम्बन्धी उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या–100/नौ–1–सिं० (270 स्थापना)/03, दिनांक 27.02.2004, संख्या–37/II–2005–01 (270)/03, दिनांक 24 मार्च, 2005 तथा संख्या–2165/II–2005–17(55)/04, दिनांक 8 जुलाई, 2005 के आलोक में सिंचाई सलाहकार समिति के कर्तव्य तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने हेतु श्री राज्यपाल निम्नवत मार्गदर्शक निर्देश निर्गत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

**(क) राज्य स्तरीय सिंचाई सलाहकार समिति का संगठनात्मक ढांचा–**

**(अ) अध्यक्ष–** मा० मंत्री, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

**(ब) उपाध्यक्ष–**

(1) गढ़वाल मण्डल– श्री वीरेन्द्र सिंह बिष्ट

(2) कुमायूँ मण्डल– श्री केदार पलड़िया

**(स) सरकारी सदस्य**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई | – | सदस्य सचिव |
| (ii) | सचिव, वन | – | सदस्य |
| (iii) | सचिव, नियोजन | – | सदस्य |
| (iv) | सचिव, वित्त | – | सदस्य |
| (v) | सचिव, कृषि | – | सदस्य |
| (vi) | सचिव, पेयजल | – | सदस्य |
| (vii) | सचिव, लोक निर्माण | – | सदस्य |
| (viii) | सचिव, उद्यान | – | सदस्य |
| (ix) | सचिव, ऊर्जा | – | सदस्य |

**(द) गैर सरकारी सदस्य**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | श्री लच्छी लाल शाह, जोशीमठ | (जनपद चमोली का प्रतिनिधित्व) |
| (2) | श्री महेश ढौंढियाल | (जनपद पौड़ी का प्रतिनिधित्व) |
| (3) | श्री राव शाहिद अहमद रोशनाबाद, पो0 रोशनाबाद, हरिद्वार | (जनपद हरिद्वार का प्रतिनिधित्व) |
| (4) | सरदार कुलदीप सिंह, ऋषिकेश | (जनपद ऋषिकेश का प्रतिनिधित्व) |
| (5) | श्री मूर्ति सिंह नेगी, चम्बा, टिहरी | (जनपद टिहरी का प्रतिनिधित्व) |

(6) श्री जयभगवान सिंह पंवार, ग्राम धराली, पो0 धराली, पट्टी टकनौर, उत्तरकाशी (जनपद उत्तरकाशी का प्रतिनिधित्व)

(7) श्री खुशाल चन्द्र ग्रोवर, ग्राम बलरामपुर, पो0 झगड़पुरी, उधमसिंह नगर (जनपद उधमसिंहनगर का प्रतिनिधित्व)

(8) श्री हरेन्द्र सिंह बोरा, गोलापार, हल्द्वानी (नैनीताल) (जनपद नैनीताल का प्रतिनिधित्व)

(9) श्री मोहन चन्द्र भट्ट, बागेश्वर (जनपद बागेश्वर का प्रतिनिधित्व)

(10) श्री गोपाल सिंह जीना, अल्मोड़ा शहर (जनपद अल्मोड़ा का प्रतिनिधित्व)

(11) श्रीमती अनीता गोरखा, गोरखा नगर, लोहाघाट, चम्पावत (जनपद चम्पावत का प्रतिनिधित्व)

(12) श्री दीपक कन्याल, ब्लाक, पो0 – डीडीहाट, पिथौरागढ़ (जनपद पिथौरागढ़ का प्रतिनिधित्व)

(13) श्री सुरेन्द्र सिंह भिलंगवाल, शैलजा गैस्ट हाउस, जोशीमठ (जनपद चमोली का प्रतिनिधित्व)

**(ख) राज्य स्तरीय सिंचाई सलाहकार समिति के कर्तव्य एवं अधिकार**

राज्य स्तरीय सिंचाई सलाहकार समिति के निम्नलिखित कर्तव्य/अधिकार होंगेः–

1. विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों/कार्य की समीक्षा करना तथा मार्गदर्शन देना।
2. विभाग के कार्यों का गुणात्मक मूल्यांकन करना तथा कार्यों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कार्य योजना/रणनीति तैयार करना।
3. सिंचाई के संसाधनों में वृद्धि हेतु उपाय प्रस्तावित करना।

**(ग) राज्य स्तरीय सिंचाई सलाहकार समिति की बैठकें**

1. समिति की सामान्यतः तीन माह में एक बार बैठक होगी जिसमें नामित सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों के साथ–साथ विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जायेगा।
2. बैठक की तिथि एवं बैठक के एजेण्डा के बारे में सदस्य सचिव के द्वारा समिति के अध्यक्ष से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा तथा बैठक के एजेण्डा सहित बैठक की सूचना शासन स्तर से सरकारी सदस्यों को सीधे एवं अन्य गैर सरकारी सदस्यों को विभागाध्यक्ष के माध्यम से भेजी जायेगी।
3. बैठक का आयोजन अध्यक्ष के द्वारा यथा अनुमोदित स्थान पर किया जायेगा और बैठक की समस्त व्यवस्थायें मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई द्वारा सुनिश्चित की जायेगी जिस पर होने वाला व्यय विभाग के संगत मद से वहन किया जायेगा।
4. सामान्यतया बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी और किन्हीं परिस्थितियों में अध्यक्ष की उपस्थिति सम्भव न हो पाये तो दो उपाध्यक्षों में से किसी एक से अध्यक्षा कराने हेतु सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। प्रयास यह

किया जायेगा कि दोनों उपाध्यक्षों को बैठक की अध्यक्षता करने का अवसर बारी–बारी से अवश्य प्राप्त हो।

5. बैठक का एजेण्डा सदस्यों को यथासम्भव 10 दिन पूर्व प्रेषित किया जायेगा और प्रयास किया जायेगा कि एजेण्डा बिन्दुओं पर विभागाध्यक्ष द्वारा तैयार की गई विवरण पुस्तिका भी सदस्यों को प्रेषित की जाये। यदि किसी कारणवश यह सम्भव न हो सके तो विभागाध्यक्ष द्वारा विवरण पुस्तिका सदस्यों/प्रतिभागियों को बैठक के समय अवश्य सुलभ कराई जायेगी।
6. बैठक के उपरान्त सदस्य सचिव द्वारा एक सप्ताह के अन्दर अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करते हुए कार्यवृत्त निर्गत कर दिया जायेगा और बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु यथोचित अनुश्रवण किया जायेगा।

**(घ) समिति के पदाधिकारियों/सदस्यों के कर्तव्य/अधिकार**

**(अ) समिति के अध्यक्ष**

1. राज्य स्तरीय सिंचाई सलाहकार समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. प्रदेश के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए कार्यों का स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन करते हुए गुणवत्ता में सुधार हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को मार्गदर्शन देना।
3. राज्य स्तरीय समिति की बैठकों के अतिरिक्त स्वविवेक से मण्डल/जनपद विशेष अथवा जनपदों की पृथक–पृथक बैठकें अपने क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान करते हुए यथोचित मार्गदर्शन देना।

**(ब) समिति के उपाध्यक्ष**

1. राज्य स्तरीय सिंचाई सलाहकार समिति की बैठकों में अपने क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित मण्डल का प्रतिनिधित्व करना।
2. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके अनुमोदनानुसार समिति की बैठक की अध्यक्षता करना।
3. अपने क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित मण्डल के अंतर्गत विभागीय कार्यों का स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन करना तथा विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक करते हुए कार्य की प्रगति/गुणवत्ता में सुधार हेतु मार्गदर्शन देना (किन्तु इन बैठकों में कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिये जा सकेंगे)
4. क्षेत्र भ्रमण/समीक्षा के आधार पर समिति के अध्यक्ष/विभागीय मंत्री को अपने सुझाव सुलभ कराना अथवा राज्य स्तरीय समिति की बैठक के दौरान अपने सुझाव प्रस्तुत करना।
5. समिति के उपाध्यक्ष को उन्हें प्रदत्त स्तर/श्रेणी के लिए यथा अनुमन्य सुविधायें विभाग द्वारा अनुमन्य कराई जायेंगी जिस पर होने वाला व्यय संगत मद से विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।
6. समिति के उपाध्यक्ष द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण/समीक्षा बैठक किये जाने पर सम्बन्धित जनपदीय विभागीय अधिकारी के द्वारा उन्हें सामान्य शिष्टाचार सुलभ कराया जायेगा और क्षेत्रीय समीक्षा बैठक के आयोजन की व्यवस्था की जायेगी जिस पर होने वाला व्यय विभाग के संगत मद से किया जायेगा।

**(स) समिति के गैर सरकारी सदस्य**

1. राज्य स्तरीय सिंचाई सलाहकार समिति की बैठकों में अपने जनपद का प्रतिनिधित्व करना तथा कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता में सुधार हेतु अपने सुझाव देना।
2. राज्य स्तरीय समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु की गई यात्रा के लिए गैर सरकारी सदस्य को श्रेणी ''क'' के अधिकारियों के सामान यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा जिस पर होने वाला व्यय विभाग के संगत मद से वहन किया जायेगा।
3. अपने जनपद से सम्बन्धित विकास कार्यों की स्वीकृति एवं प्रगति की सूचना सम्बन्धित खण्डीय अधिकारी/नोडल अधिकारी के द्वारा सदस्य को समय–समय पर सुलभ कराई जायेगी और कार्य हित में उनके द्वारा दिये गये सुझावों का संज्ञान लिया जायेगा।

(एन. रवि शंकर)
सचिव

संख्या : 4199/05–01(270)/03, तद दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव, मा. सिंचाई राज्यमंत्री, उत्तरांचल।
3. मा. उपाध्यक्ष, (गढ़वाल/कुमायूं मण्डल) राज्य स्तरीय सिंचाई सलाहकार समिति द्वारा मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सि. वि, देहरादून।
4. समस्त सरकारी/गैर सरकारी सदस्य, राज्य स्तरीय सिंचाई सलाहकार समिति द्वारा मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिं. वि., देहरादून।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल, देहरादून।
7. अपर सचिव, गोपन (मंत्रीपरिषद) अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
9. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिं. वि., उत्तरांचल।
10. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
11. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल देहरादून।
12. निदेशक, एन.आई.सी., देहरादून।
13. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
14. समस्त अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

**उत्तरांचल शासन**
**सिंचाई विभाग**
**संख्या – 100 (वीआईपी)/नौ–1–सिं.(270 स्थापना)/04**
**दिनांक : देहरादून : 27, फरवरी, 2004**

## कार्यालय ज्ञाप

सिंचाई विभाग के अंतर्गत सिंचाई एवं लघु सिंचाई के कार्यों की समीक्षा करने तथा विभागीय कार्यों की गुणवत्ता में सुधार लाने के निमित्त श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश स्तरीय सिंचाई सलाहकार समिति का गठन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। गठित समिति निम्नवत होगी :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | मा. मंत्री सिंचाई, लघु सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | – | अध्यक्ष |
| 2. | श्री वीरेन्द्र सिंह बिष्ट,<br>(जनपद रूद्रप्रयाग का प्रतिनिधित्व) | – | उपाध्यक्ष |
| 3. | श्री लच्छी लाल शाह, जोशीमठ<br>(जनपद चमोली का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |
| 4. | श्री महेश ढौढ़ियाल,<br>(जनपद पौड़ी का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |
| 5. | श्री राव शाहिद अहमद, रोशनाबाद, पो.<br>रोशनाबाद, हरिद्वार<br>(जनपद हरिद्वार का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |
| 6. | सरदार कुलदीप सिंह, ऋषिकेश<br>(जनपद ऋषिकेश का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |
| 7. | श्री मूर्ति सिंह नेगी, चम्बा, टिहरी<br>(जनपद टिहरी का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |
| 7. | श्री जयभगवान सिंह पंवार, ग्राम धराली,<br>पो0 धराली, पट्टी टकनौर, उत्तरकाशी<br>(जनपद उत्तरकाशी का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |
| 9. | श्री खुशाल चन्द्र ग्रोवर, ग्राम बलरामपुर,<br>पो0 झगड़पुरी, उधमसिंह नगर<br>(जनपद उधमसिंह नगर का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |
| 10. | श्री हरेन्द्र सिंह बोरा, गोलापार, हल्द्वानी (नैनीताल)<br>(जनपद नैनीताल का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |
| 11. | श्री मोहन चन्द्र भट्ट, बागेश्वर<br>(जनपद बागेश्वर का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12. | श्री गोपाल सिंह जीना, अल्मोड़ा शहर, अल्मोड़ा<br>(जनपद अल्मोड़ा का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |
| 13. | श्री सुरेन्द्र सिंह भिलंगवाल, शैलजा गैस्ट हाउस, जोशीमठ<br>(जनपद चमोली का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |
| 14. | श्रीमती अनीता गोरखा, गोरखा नगर, लोहाघाट, चम्पावत<br>(जनपद चम्पावत का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |
| 15. | श्री दीपक कन्याल, ब्लाक, पो0 – डीडीहाट, पिथौरागढ़<br>(जनपद पिथौरागढ़ का प्रतिनिधित्व) | – | सदस्य |

**उत्तरांचल शासन**
**सिंचाई विभाग**
**संख्या : 37/II–2005–01(270)/03**
**देहरादून : दिनांक, 24 मार्च, 2005**

**कार्यालय ज्ञाप**

कार्यालय ज्ञाप संख्या–100/नौ–1–सिं0 (270 स्थापना)/03, दिनांक 27.02.2004 के द्वारा गठित राज्य स्तरीय सिंचाई सलाहकार समिति का गठन किया गया था, जिसमें समिति के उपाध्यक्ष एवं 13 सदस्यों को नामित किया गया था।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य स्तरीय सिंचाई सलाहकार समिति में उपाध्यक्ष के दो पद सृजित किए जाते हैं जिनमें से एक पद पर श्री केदार पलड़िया ग्राम भौर्सा, पोस्ट, अमृतपुर, जनपद–नैनीताल को राज्य स्तरीय सिंचाई सलाहकार समिति में उपाध्यक्ष पद पर नामित किये जाने को श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. पूर्व नामित उपाध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सिंह बिष्ट, राज्य सिंचाई सलाहकार समिति के अंतर्गत उपाध्यक्ष के रूप में गढ़वाल मण्डल का एवं श्री केदार पलड़िया उपाध्यक्ष के रूप में कुमायूं मण्डल का प्रतिनिधित्व करेंगे।
2. उक्त दोनों उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय सिंचाई सलाहकार समिति की प्रत्येक 3 माह में प्रस्तावित बैठक में मा. अध्यक्ष की अनुपस्थिति की दशा में उनके द्वारा अन्यथा किए जाने वाले आदेश को छोड़कर अन्य अवसरों पर बारी–बारी से बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
3. उक्त समिति में पूर्व से नामित 13 सदस्य जो गढ़वाल मण्डल एवं कुमायूं मण्डल से हैं, अपने–अपने जनपदों का प्रतिनिधित्व यथावत् करते रहेंगे।

उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या : 100/नौ–1 –सिं0(270–स्थापना)/03, दिनांक 27.02.2004 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

एन. रवि शंकर
सचिव।

संख्या : 37/II–05–01(270)/03, तद दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव, मा. सिंचाई राज्यमंत्री, उत्तरांचल।
3. श्री वीरेन्द्र सिंह बिष्ट, मा. उपाध्यक्ष, (गढ़वाल/कुमायूं मण्डल) राज्य स्तरीय सिंचाई सलाहकार समिति द्वारा मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सि. वि, देहरादून।
4. श्री केदार पलड़िया ग्राम भौर्सा, पोस्ट, अमृतपुर, जनपद–नैनीताल ।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल, देहरादून।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

8. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
9. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
10. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल देहरादून।
11. निदेशक, एन.आई.सी., देहरादून।
12. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
13. समस्त अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

**उत्तरांचल शासन**
**सिंचाई विभाग**
**संख्या : 2165/II–2005–17(15)/04**
**देहरादून : दिनांक, 08 जुलाई, 2005**
**कार्यालय ज्ञाप**

सिंचाई विभाग के कार्यों की समीक्षा तथा विभागीय कार्यों की गुणवत्ता में सुधार करने के निमित्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–100 वीआईपी/नौ–1–सिं0 (270 स्थापना)/04, दिनांक 27.02.2004 द्वारा प्रदेश स्तरीय सिंचाई सलाहकार समिति का गठन किया गया था।

उक्त के क्रम में अन्तर्विभागीय समस्याओं के सम्बन्ध में उपयोगी विचार विमर्श एवं तत्काल निदान को दृष्टिगत रखते हुए शासन स्तर के निम्न अधिकारियों को समिति में सदस्य नामित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. सचिव, वन, उत्तरांचल शासन।
2. सचिव, नियोजन, उत्तरांचल शासन।
3. सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
4. सचिव, कृषि, उत्तरांचल शासन।
5. सचिव, पेयजल, उत्तरांचल शासन।
6. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल शासन।
7. सचिव, उद्यान, उत्तरांचल शासन।
8. सचिव, ऊर्जा, उत्तरांचल शासन।

उक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिए गए निर्णयानुसार प्रदेशीय सिंचाई सलाहकार समिति के कार्यकाल की अवधि समिति के गठन की तिथि से 03 वर्ष के लिए निर्धारित की जाती है।

एन. रवि शंकर
सचिव।

संख्या :      /11–2005–17(15)/04, तद दिनांक।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. राज्य स्तरीय सिंचाई सलाहकार समिति के समस्त सदस्य।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
3. मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव, के निजी सचिव।
4. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
6. निदेशक, सूचना एंव जन सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
8. निदेशक, एन.आई.सी., देहरादून।
9. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
10. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
11. समस्त अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

**उत्तरांचल शासन**
**सिंचाई विभाग**
**संख्या : /नौ–1–सिं0 (270 स्थापना)/2004**
**देहरादून : दिनांक, मार्च, 2004**

**<u>कार्यालय ज्ञाप</u>**

कार्यालय ज्ञाप संख्या : 836/नौ–1–सिं0 (270 स्थापना)/04, दिनांक 27.2.2004 के द्वारा राज्य स्तरीय सिंचाई सलाहकार समिति का गठन किया गया था, जिसमें समिति के उपाध्यक्ष एवं 12 सदस्यों को नामित किया गया था।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री सुरेन्द्र सिंह भिलंगवाल, निवासी शैलजा गेस्ट हाउस, जोशीमठ, जनपद चमोली को उक्त समिति में सदस्य नामित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। श्री भिलंगवाल जनपद–चमोली का प्रतिनिधित्व करेंगे।

उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.02.2004 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

(एस. कृष्णन)
प्रमुख सचिव, सिंचाई,
उत्तरांचल शासन।

संख्या : / नौ–1–सिं0 (270 स्थापना)/2004, दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मा. अध्यक्ष, विधानसभा, उत्तरांचल।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मा. सिंचाई मंत्री जी के पत्र संख्या : 1648/मं.सिं.ल.सिं./04, दिनांक 28.2.2004 के संदर्भ में।
4. श्री वीरेन्द्र सिंह बिष्ट, उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय सिंचाई सलाहकार समिति।
5. श्री सुरेन्द्र सिंह भिलंगवाल, निवासी–शैलजा गेस्ट हाउस, जोशीमठ, जनपद–चमोली।
6. स्टॉफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
7. स्टॉफ आफिसर–II, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को उनके पत्र संख्या : 382/पीएस/04, दिनांक 9.3.2004 के संदर्भ में सूचनार्थ।
8. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
9. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल देहरादून।
10. समस्त आयुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
11. सार्वजनिक उद्यम अनुभाग/गोपन अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
12. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तरांचल शासन।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव